न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 132/2014(166/11)

उनवान

1 श्री शरीफ पुत्र श्री अब्दुल रहमान मुसलमान आयु 60 वर्ष पेशा कृषि निवासी–हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०)

–––––वादी

बनाम

1 चांदी पुत्री लालू दरोगा उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम –

1/1 कविता पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/2 कृष्णा पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी– कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/3 गीता पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/4 मन्जु पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/5 मदन सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/6 मोहन सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/7 हीरा सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी– कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०)

2 मोहनी पत्नी भंवर लाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

3 घीसू वल्द भंवर लाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::–

श्री प्रवीण चोरडिया –––––अधिक्ता वादी

राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनु0

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested

15–07–2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने [illegible] नियमित पट्टा पत्र बाबत खातेदारी अधिकरों की घोषण, इंद्राज दुरूस्ति तथा [illegible] निवेदन किया कि वादी को राजस्व ग्राम हमीरगढ़, पटवार मंडल हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़ में स्थित साबिक खसरा संख्या 3185 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विधिवत आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03–11–1971 को मिसल संख्या 4/77 के माध्यम से किया गया, जिसका पट्टा वादी के पक्ष में जारी हुआ। उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 06–11–1971 को वादी को उक्त भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा भी प्रदान किया गया तथा तत्पश्चात उक्त भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट हुई और जमाबंदी वर्षो 2022 से 2025 तक वादी के नाम पर दर्ज रही

वादी तभी से लगातार इस भूमि का काश्तकार, उपयोगकर्ता एवं भौतिक अधिपति रहा है और आज तक उक्त भूमि का संपूर्ण लाभ लेता आ रहा है। वादी द्वारा इस भूमि पर नीम आदि के वृक्ष लगाए गए हैं और चारों ओर सीमांकन स्वरूप मिट्टी का डोल एवं काटेदार पौधों (थोहर) की बाडबदी भी की गई है। किन्तु, नवीन बंदोबस्ती कार्यवाही के दौरान उक्त साबिक खसरा सख्या 3185/61 की भूमि को खसरा संख्या 3698 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा में सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें वादी की भूमि 1 बीघा 7 बिस्वा दक्षिण–पूर्वी दिशा में स्थित है। त्रुटिपूर्ण रूप से उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के पूर्वज लालू पिता लक्ष्मण दरोगा के नाम पर गैर–खातेदारी प्रविष्ट कर दी गई, जबकि वास्तव में वादी की भूमि उसके लगातार भोगाधिकार व वैध कब्जे में रही है। यह प्रविष्टि पूरी तरह से अवैध, त्रुटिपूर्ण व शून्य प्रभावी है, क्योंकि वादी की वैधानिक अधिकारिता, काश्त, कब्जा एवं भूमि पर भौतिक नियंत्रण निर्विवाद रहा है और नवीन बंदोबस्ती में वादी की साबिक भूमि का क्षेत्रफल परिवर्तन (3 बिस्वा प्रति बीघा की कमी अनुसार) 1 बीघा 7 बिस्वा ही होता है, जो उक्त नई खसरा संख्या में यथावत सम्मिलित है। वादी को उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की जानकारी मिलने पर उसने प्रतिवादियों से अनुरोध किया कि उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज करा दें, जिस पर प्रतिवादी आश्वासन देते रहे। वादी ने वर्ष 2010 में केम्प हमीरगढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि का खाता अपने नाम दर्ज कराने का प्रयास भी किया, जिसमें पटवारी द्वारा मौके पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस तथ्य की पुष्टि की गई कि वादी की साबिक भूमि ही खसरा 3698 में शामिल की गई है। परंतु प्रतिवादीगण उक्त भूमि वादी के नाम कराने हेतु सहमत नहीं हुए। इसके विपरीत, दिनांक 25–05–2011 को जब वादी अपनी भूमि पर कार्यरत था, तब प्रतिवादीगण मौके पर आकर वादी को धमकी देने लगे कि वह उक्त भूमि खाली कर दे, अन्यथा बलपूर्वक बेदखल कर देंगे। यह स्थिति वादी के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और उसकी भूमि पर अवैध हस्तक्षेप का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः माननीय न्यायालय से यह निवेदन है कि यह घोषणात्मक डिक्री जारी की जाए कि आराजी नंबर 3698 के अंतर्गत स्थित दक्षिण–पूर्वी दिशा की भूमि रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पर वादी ही वैधानिक खातेदार, काश्तकार व भौतिक अधिपति है और उक्त भूमि का खाता वादी के नाम पर दर्ज किया जाए। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा वादी के उक्त भूमि पर कब्जे, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप करने अथवा किसी अन्य के माध्यम से कराए जाने से रोका जाए।

वादी द्वारा दायर वादपत्र को दिनांक 07–07–20211 को विधिवत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत कर रजिस्टर किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने कानून अनुसार प्रतिवादीगण एवं राज्य पक्ष को सम्मन जारी कर तलब किया, जो विधिपूर्वक तामील होकर प्राप्त हुए। वाद विचारण की प्रक्रिया के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 के निधन की [illegible] तथा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, [illegible] ने स्वीकार कर मृतका के विधिक उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर [illegible] किया गया और वादी के वादपत्र की समस्त चरणों [illegible] कहा गया है कि वादपत्र में प्रस्तुत तथ्य पूर्णतः गलत, भ्रामक तथा राजस्व रेकॉर्ड व भू–नक्[illegible] मेल नहीं खाते हैं। वादी द्वारा यह दावा किया गया है कि आराजी नम्बर 3698, जो कि वर्तमान में 6 बीघा 02 बिस्वा भूमि है, उसमें उसकी एक बीघा 7 बिस्वा भूमि सम्मिलित है, किंतु प्रतिवादीगण ने यह तथ्य खंडित किया है कि उक्त भूमि कभी भी वादी के स्वामित्व, कब्जे या उपयोग में नहीं रही है। असल में उक्त भूमि पहले साबिक नम्बर 3185/21 के रूप में दर्ज थी, जिसका कुल रकबा 7 बीघा था

Signature Not Verified
Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

और सेटलमेंट के पश्चात उसका नया खसरा नम्बर 3698 किया गया, जिसका रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा है। यह भूमि पूर्व में लालु पिता लक्ष्मण को आवंटित की गई थी, जिनका वास्तविक व नियमित कब्जा इस पर रहा है। लालु की मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री चान्दी के नाम भूमि दर्ज हुई, तत्पश्चात चान्दी ने दिनांक 25.05.2017 को उक्त भूमि में अपने हिस्से को अपने पति भवानी सिंह के नाम पंजीकृत बक्षीसनामा के माध्यम से वैध रूप से स्थानांतरित कर दिया। इसके पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में भूमि भवानी सिंह पिता कजोड़ सिंह दरोगा के नाम दर्ज हो गई और वर्तमान में उन्हीं के उत्तराधिकारीगण उक्त भूमि पर कास्त और कब्जे में हैं। वादी शरीफ पुत्र अब्दुल रहमान का इस भूमि पर न कभी स्वामित्व रहा है और न ही कभी उसका कोई वैधानिक अथवा वास्तविक कब्जा रहा है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा यह कथन करना कि साबिक आराजी नम्बर 3185/61 से भूमि मिली हुई है, पूर्णतः गलत है क्योंकि खसरा मिलान से यह स्पष्ट होता है कि आराजी नम्बर 3698 पूर्व में 3185/21 थी, न कि 3185/61, वादी द्वारा अपने पक्ष को बल देने के लिए जानबूझकर गलत व मनगढ़ंत तथ्यों को आधार बनाया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा एवं खसरा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। समस्त तथ्य, रेकॉर्ड, उत्तराधिकार क्रम, राजस्व प्रविष्टियां व बक्षीसनामा से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वादी का प्रस्तुत वाद निराधार, त्रुटिपूर्ण तथ्यों पर आधारित तथा दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादीगण के इस जवाब को रेकॉर्ड पर लेकर वादी का वादपत्र विधिसम्मत रूप से खारिज किया जाए।

विधिपूर्ण सूचना देने के बावजूद शेष प्रतिवादी संख्या 02, 03 सुनवाई तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 02, 03 की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत वादी पक्ष को शहादत हेतु अवसर प्रदान किया गया, जिसमें वादी ने अपने दावे के समर्थन में आवश्यक राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किए तथा उन पर लाल स्याही से प्रदर्श अंकन कराए। वादी गवाह शरीफ पुत्र अब्दुल रहमान मुसलमान का शपथ–पत्र दाखिल किया गया एवं पी.डब्ल्यू.–01 से प्रतिपक्ष के अधिवक्ता द्वारा विधिपूर्वक जिरह की गई, जिसके बयान न्यायालय में कलमबद्ध किए गए। वादी पक्ष की शहादत पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी पक्ष को भी शहादत हेतु अवसर दिया गया, परन्तु निर्धारित समयावधि में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने से उनकी शहादत समाप्त मानी गई। पश्चात् प्रकरण की बहस के लिए नियत तिथि पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने–अपने तर्कों व कथनों के आधार पर दावा अथवा जवाबदावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। समस्त प्रक्रिया न्यायालय द्वारा विधिक नियमों के अनुसार संचालित की गई।

न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त [illegible], राजस्व [illegible] गवाही के बयान, का गहन परीक्षण करने के उपरांत यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित [illegible] हुआ [illegible] वादी को राजस्व ग्राम हमीरगढ़, साबिक खसरा संख्या 3185 [illegible] आवंटन दिनांक 03–11–1971 को मिसल संख्या 4/77 के माध्यम से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर वादी के पक्ष में अधिकृत पट्टा जारी [illegible] और दिनांक 06–11–1971 को उसे वास्तविक रूप से भूमि का कब्जा भी दिया गया। इसके बाद वादी का नाम उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ और वर्षों तक 2022 से 2025 तक जमाबंदी में उसका नाम नियमित रूप से बना रहा, जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी इस भूमि का नियमित खातेदार, काश्तकार और भौतिक अधिपति रहा है। वादी ने इस भूमि पर नीम आदि वृक्ष लगाए, मिट्टी के डोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

और कांटेदार पौधों (थोहर) से सीमांकन किया, जो भूमि पर वादी के दीर्घकालिक व शांतिपूर्ण कब्जे का प्रमाण है। बाद में जब नवीन बंदोबस्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उक्त भूमि को नये खसरा नंबर 3698, रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा में सम्मिलित किया गया, तो वादी की साबिक भूमि का क्षेत्रफल परिवर्तन के अनुसार 1 बीघा 7 बिस्वा दक्षिण–पूर्वी दिशा में इस नये खसरे में शामिल हुआ, जिसकी पुष्टि वादी द्वारा वर्ष 2010 में केम्प हमीरगढ़ में दिए गए आवेदन व पटवारी की मौके की रिपोर्ट से होती है। प्रतिवादीगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त भूमि उनके पूर्वज लालू के नाम पर दर्ज थी और बाद में उत्तराधिकार के माध्यम से भवानी सिंह को प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने वादी के कब्जे, उपयोग व वैध अधिकारों को नकारने हेतु कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। इसके विपरीत, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्ण, स्पष्ट और अभिलेखीय पुष्टि से युक्त हैं। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही की गई और प्रतिवादी पक्ष द्वारा निर्धारित समय में कोई शहादत प्रस्तुत न किए जाने से उनकी गवाही समाप्त मानी गई।

अतः समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं कानून के आधार पर न्यायालय यह न्यायोचित समझता है कि खसरा संख्या 3698 में स्थित दक्षिण–पूर्वी दिशा की 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादी ही वैध खातेदार, काश्तकार और भौतिक अधिपति है, और संबंधित भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जाए। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि वे वादी के कब्जे, उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और न ही किसी अन्य माध्यम से वादी को बेदखल करने या हस्तक्षेप करने का प्रयास करें। अतः वादी द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिवचन स्वीकृत किये जाते है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके राजस्व ग्राम हमीरगढ़, पटवार मंडल हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़ में स्थित खसरा संख्या 3698 में स्थित दक्षिण–पूर्वी दिशा की 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादी ही वैध खातेदार, काश्तकार और भौतिक अधिपति है, और संबंधित भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज जाए। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7, 02, 03 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि वे वादी के कब्जे, उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और न ही किसी अन्य माध्यम से वादी को बेदखल करने या हस्तक्षेप करने का प्रयास करें।

तहसीलदार हमीरगढ़ तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
[illegible]
सहायक [illegible] हमीरगढ़
भील[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारीः— नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 132 /2014(166/11)

उनवान

1 श्री शरीफ पुत्र श्री अब्दुल रहमान मुसलमान आयु 60 वर्ष पेशा कृषि निवासी—हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०) वादी

बनाम

1 चादी पुत्री लालू दरोगा उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम —

1/1 कविता पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेडा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/2 कृष्णा पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी— कांवाखेड़ा, भीलवाडा तहसील एव जिला भीलवाडा (राज०)

1/3 गीता पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/4 मन्जु पुत्री श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/5 मदन सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/6 मोहन सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/7 हीरा सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी— कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

2 मोहनी पत्नी भंवर लाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

3 धीसू वल्द भंवर लाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::—

श्री प्रवीण चोरडीया ————अधिक्ता वादी

राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ़

श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनु0

Signature Not Verified

15-07-2025

Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद—पत्र अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध [illegible] की जाती है कि—वाके राजस्व ग्राम हमीरगढ, पटवार मंडल [illegible] खसरा संख्या 3698 में स्थित दक्षिण—पूर्वी दिशा की 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादी ही [illegible] खातेदार, काश्तकार और भौतिक अधिपति है, और संबंधित भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखों [illegible] दर्ज की जाए। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7, 02, 03 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि वे वादी के कब्जे, उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और न ही किसी अन्य माध्यम से वादी को बेदखल करने या हस्तक्षेप करने का प्रयास करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमी[illegible]

तहसीलदार हमीरगढ़ तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 15–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested